(104)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3993/पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 28.10.2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 856/12-13/अपील.

---

1. छोटीबाई बेवा मुस्तफा खां (मृतक)
2. श्रीमती अनीसा पुत्री स्व. मुस्तफा खां
   निवासी ग्राम कुलैथ हाल चितेरा ओली,
   लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.)
3. श्रीमती विलकिस पुत्री स्व. मुस्तफा खां
   निवासी भोपाल, म.प्र.
4. श्रीमती मुन्नी पुत्री स्व. मुस्तफा खां
   निवासी धौलपुर, राजस्थान .....आवेदिकागण

विरूद्ध

1. अजीज खां पुत्री नबी खां
   निवासी ग्राम सिगौरा, परगना व जिला ग्वालियर
2. कदीर खां पुत्र नबी खां
   निवासी ग्राम सिगौरा परगना व जिला ग्वालियर
3. बद्री सिंह पुत्र नबी खां
   निवासी ग्राम खेरिया कुलैथ, जिला ग्वालियर
4. मेंहदी खां
5. छोटे खां
6. नत्थे खां
   क्र. 4 से 6 तक पुत्रगण भोला वक्स
7. बिसमिल्ला बाई
8. बरकत बाई
   क्र. 7 से 8 तक पुत्रीगण भोला वक्स
   निवासीगण ग्राम सिगौरा, परगना व जिला ग्वालियर .....अनावेदकगण

श्री एस.एन. शर्मा, अभिभाषक, आवेदिकागण

श्री एन.डी. शर्मा, अभिभाषक, अनावेदक क्र. 1 व 2

श्री दुष्यंत चौहान, अभिभाषक, अनावेदक क्र. 3

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 30/1/19 को पारित)

आवेदिकागण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित दिनांक 28.10.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदिकागण द्वारा नामांतरण पंजी क्र. 18 में पारित दिनांक 26.03.1982 के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, ग्वालियर (घाटीगांव) के समक्ष दिनांक 25.01.2012 को लगभग 30 वर्ष विलंब से प्रस्तुत की गई, जो कि प्रकरण क्र. 106/11-12/अपील पर दर्ज की जाकर दिनांक 29.07.2013 को आदेश पारित कर आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत अपील अवधि बाह्य होने से निरस्त की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 28.10.2015 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील निरस्त की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदिकागण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) आवेदिकागण द्वारा उपरोक्त भूमि का कभी भी अनावेदक क्र. 1 व 2 के हित में विक्रय पत्र सम्पादित नहीं किया गया। वास्तविकता यह है कि आवेदिका क्र. 3 विलकिस विक्रय पत्र दिनांक 31.08.1982 को नाबालिग थी। अनावेदकगण द्वारा षड्यंत्रपूर्वक आवेदिका क्र. 3 का फर्जी अंगूठा निशानी लगाकर फर्जी विक्रय पत्र सम्पादित करा लिया गया। आवेदिकागण अनपढ अशिक्षित महिला है। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उदारतापूर्वक विचार किये बिना आदेश पारित किया है।

(2) अनावेदक क्र. 1 व 2 द्वारा फर्जी रूप से आवेदिकागण की जानकारी के बिना नाबालिग की भूमि का बिना अनुमति विक्रय पत्र सम्पादित करा लिया। मायनोरिटी एवं गार्जियनशिप एक्ट की धारा 8 में बने प्रावधानों के तहत विक्रय पत्र अवैध व अनुचित होकर शून्य है, जिसके आधार पर अनावेदकगण का नामांतरण किया गया है, जो अवैध एवं अनुचित है। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा बिना निष्कर्ष निकाले त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया है, जो अवैध, अनुचित व गैरकानूनी है।

(3) अनावेदक क्र. 1 व 2 द्वारा नामांतरण पंजी में बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के अवैध प्रविष्टि करा ली गई है। नामांतरण पंजी सक्षम न्यायालय एवं रिकॉर्ड में उपलब्ध न होने से अनावेदकगण के नाम की प्रविष्टि अभिलेख से विलोपित की जाना न्यायसंगत है।

(4) आवेदिकागण को अनावेदकगण के नाम खसरे में अवैध नाम की प्रविष्टि की जानकारी होने के पश्चात् तहसीलदार के समक्ष इन्द्राज दुरूस्ती कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। तहसीलदार द्वारा अपील करने का निर्देश देते हुए आवेदिकागण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। आवेदिकागण अनपढ, अशिक्षित महिलायें होने से उनको समय सीमा का कोई ज्ञान नहीं था। इस कारण अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष जानकारी दिनांक से अंदर म्याद अपील प्रस्तुत की, परंतु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उदारतापूर्ण दृष्टिकोण न अपनाते हुए अपील का गुण दोषों पर निराकरण न करते हुए खारिज कर दी गई।

(5) आवेदिकागण के नाम विक्रय पत्र दिनांक 31.08.1981 में वर्णित सर्वे क्रमांक 2823, 2902, 2903,2907, 2910, 2914, 2922 अंकित है तथा अनावेदक क्रमांक 3 बद्रीसिंह पुत्र पंछी सिंह द्वारा सम्पादित विक्रय दिनांक 12.11.1982 में आवेदिकागण के खाते के दर्शाये गये सर्वे क्रमांक अंकित है। अनावेदक क्र. 1 व 2 द्वारा मोला बक्श पुत्र श्री बट्टा से हिस्सा 1/6 क्रय करना लिखा गया है। आवेदिकागण का खाता पृथक् है।

(6) अनावेदक क्र. 1 व 2 द्वारा पेश विक्रय पत्र में आवेदिकागण के खाता क्रमांक 384 में से हिस्सा 5/6 विक्रय करना लिखा है, जबकि उपरोक्त खाता में मृतका छोटीबाई एवं क्रमांक 2 लगायत 4 समान भाग के हिस्सेदार हैं। अनावेदक क्र. 3 बद्रीसिंह द्वारा सम्पादित विक्रय पत्र में खाता क्र. 23/2038 है। दोनों विक्रय पत्रों में पृथक-पृथक खाता अंकित होने से स्पष्ट है कि बद्रीसिंह द्वारा मोला बक्श के खाते की भूमि में से हिस्सा 1/6 क्रय किया है। विक्रय पत्र दिनांक 12.11.1982 में आवेदिकागण के खाते में अनावेदक क्र. 1 व 2 ने दुरभि संधि कर सर्वे क्रमांक विक्रय पत्र में अंकित फर्जी तौर से कराये हैं। आवेदिकागण के खाते की भूमि दिनांक 31.08.1981 में हिस्सा 1/6 विक्रय हो गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को मानते हुए प्रक्रिया एवं न्याय के नैसर्गिक सिद्धांतों के विपरीत आदेश पारित किया है। मृतका छोटीबाई द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में आवेदिका क्र. 3 को शपथ पत्र प्रस्तुत कर विक्रय पत्र दिनांक को 17 वर्ष की नाबालिग होना बताया है।

(7) आवेदिकागण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष आदेश 41 नियम 27 का प्रार्थना पत्र दिनांक 10.07.2018 को प्रस्तुत किया है, जिसके साथ प्रकरण क्र. 510ए/15 ई.दी. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 ग्वालियर छोटीबाई आदि बनाम अजीज खां आदि व्यवहार वाद की प्रति प्रस्तुत की है, जिसमें विक्रय पत्र दिनांक 31.08.1981 एवं 12.11.1982 को शून्य घोषित हेतु वाद वास्ते घोषणात्मक एवं स्थाई निषेधाज्ञा वाद लंबित है।

(8) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा असल विक्रय पत्रों को समक्ष में मंगाने के बाद आदेश में उल्लेख करते हुए तथा बिना जांच किये अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखे जाने में भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय की ऑर्डरशीट पर विक्रय पत्रों को प्रस्तुत होने का लेख है। इस संबंध में 2002 आर.एन. 306 प्रतिपादित माननीय उच्च न्यायालय एवं 1991 आर.एन. 127 प्रतिपादित माननीय उच्च न्यायालय, डी.बी. खण्डपीठ ग्वालियर के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये हैं।

अत: उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदक क्र. 1 व 2 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) बद्रीसिंह द्वारा हम अनावेदकगण के नामांतरण के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की और ना ही हम अनावेदकगणों के हित में किये गये बयनामें को चुनौती दी।

(2) आवेदिकागण द्वारा गलत जानकारी देकर उपरोक्त सम्पूर्ण आराजी अपने पति एवं पिता से प्राप्त होना बताया जा रहा है, वह गलत है, क्योंकि उनके द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया, जिससे यह सिद्ध होता हो कि सम्पूर्ण कृषि आराजी आवेदिकागण की हो, बल्कि प्रकरण में संलग्न खसरों में आवेदिकागण का हिस्सा 5/6 ही दर्शाया गया है तथा शेष 1/6 भाग बद्री सिंह के स्वत्व स्वामित्व का शासकीय अभिलेख में दर्ज है।

(3) आवेदिकागण द्वारा तहसील न्यायालय में शिकायती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अनावेदकगण द्वारा फर्जी बयनामे के आधार पर हम आवेदिकागण की भूमि पर नाम दर्ज करा लिया है, जिसे दुरूस्त कर उक्त भूमि हम आवेदिकागण के नाम दर्ज की जाये, उक्त प्रार्थना पत्र से नायब तहसीलदार, ग्वालियर द्वारा प्र. क्र. 22/10-11/बी-121 दर्ज कर जांच की। दौराने जांच यह पाये जाने पर कि अनावेदकगण का नाम आवेदिकागण द्वारा किये गये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण किया गया है। ऐसी स्थिति में नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 08.02.2011 को आदेश पारित करते हुए आवेदिकागण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त कर यह लिख कि अनावेदकगण का नाम रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज किया गया है। ऐसी स्थिति में आवेदिकागण को अपील करने हेतु सुझाव दिया गया, किंतु आवेदिकागण द्वारा नायब तहसीलदार द्वारा दिये गये आदेश दिनांक 08.02.2011 का पालन नहीं किया, बल्कि एक दूसरा प्रार्थना पत्र तहसील न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया।

(4) तहसील न्यायालय द्वारा मृतका छोटीबाई आदि द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पूर्व में दिये गये आदेश के आधार पर निरस्त किया गया तथा यह उल्लेख किया गया कि पूर्व में भी आदेश दिया गया था कि नामांतरण के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करना चाहिए।

(5) नायब तहसीलदार द्वारा दिये गये निर्देश के बावजूद भी आवेदिकागण द्वारा नियत अवधि अर्थात् 30 दिन के अंदर प्रस्तुत नहीं की बल्कि 11 माह बाद अर्थात् 25.01.2012 को अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अवधि विधान की धारा 5 संलग्न करते हुए अपील प्रस्तुत की। आवेदिकागण द्वारा नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश का कोई उल्लेख न करते हुए अवधि विधान की धारा 5 के म्याद के संबंध में यह उल्लेख करते हुए कि नकल खसरा एवं पटवारी से सम्पर्क करने पर दिनांक 08.01.2012 को जानकारी होना दर्शाया।

(6) हम अनावेदकगण द्वारा आवेदिकागण द्वारा प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5पर आपत्ति प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि आवेदिकागण द्वारा असत्य कथन दर्शाये हुए म्याद प्राप्त करने की चेष्ठा की गई है, क्योंकि जब तहसील न्यायालय में आवेदिकागण द्वारा कार्यवाही की गई थी तो उसी समय आवेदिकागण को हम अनावेदकगण के नामांतरण के संबंध में जानकारी हो चुकी थी, किंतु जानबूझकर न्यायालय में असत्य तथ्य दर्शाते हुए जानकारी दिनांक 08.01.2012 को होना बताया जाना दस्तावेजी साक्ष्य के सर्वथा प्रतिकूल

है, क्योंकि हम अनावेदकगण द्वारा तहसील न्यायालय में प्रचलित प्रकरण तथा उसमें दिये गये आदेश, जिसमें मृतका छोटीबाई का निशानी अंगूठा लगा हुआ है प्रस्तुत किये, जिसके आधार पर यह सिद्ध होता है कि आवेदिकागण पूर्व में भी नामांतरण निरस्त कराने की कार्यवाही तहसील न्यायालय में कर चुके थे, जिससे यह प्रमाणित होता है कि आवेदिकागण को तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.02.2011 से पूर्णरूपेण यह ज्ञात हो चुका था कि तहसील न्यायालय द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण किया है।

(7) म्याद प्राप्त करने का किसी व्यक्ति का नैतिक अधिकार नहीं है। न्यायालय द्वारा ऐसे व्यक्ति को म्याद का लाभ नहीं दिया जा सकता है, जिसके द्वारा किसी तथ्य को छुपाकर न्यायालय में असत्य तथ्य दर्शाते हुए म्याद प्राप्त करने की कोशिश की गई है, उस व्यक्ति को म्याद का लाभ प्राप्त करने का कोई नैतिक अधिकार भी नहीं है।

(8) दोनों ही अपीलीय न्यायालयों के समवर्ती आदेश होने के कारण निगरानी में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

(9) आवेदिकागण द्वारा हम अनावेदक के हक में किये गये विक्रय पत्रों को इस आधार पर निरस्त कराने हेतु व्यवहार वाद प्रस्तुत किया जो प्र.क्र. 510ए/15 ई.दी. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 ग्वालियर के न्यायालय में मृतका छोटीबाई बनाम अजीज खां प्रचलित है। उक्त प्रकरण में आवेदिकागण द्वारा व्यवहार न्यायाधीश से यह निवेदन किया था कि उक्त विक्रय पत्र फर्जी है उस पर हमारे अंगूठे नहीं है। इस पर से न्यायाधीश द्वारा आवेदिकागण द्वारा किये गये विक्रय पत्र की जांच हस्तलेखन विशेषज्ञ से कराई। हस्तलेखन विशेषज्ञ द्वारा जांच उपरांत यह पाते हुए कि दस्तावेज पर अंकित अंगूठे उन्हीं व्यक्तियों के हैं, जिनके द्वारा विक्रय पत्र सम्पादित किया है।

अतः उनके द्वारा निगरानी निरस्त करते हुए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया।

5/ अनावेदक क्र. 3 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदिकागण द्वारा 30 वर्ष से भी अधिक समय पश्चात् असत्य आधारों पर प्रथम अपील प्रस्तुत की गई थी। उपरोक्त स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा समय बाह्य अपील निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है और अनुविभागीय अधिकारी के विधिसंगत आदेश की पुष्टि करने में अपर

आयुक्त द्वारा भी कोई भूल नहीं की गई है। इस आधार पर कहा गया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त के आदेश यथावत् रखते हुए निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

6/ अनावेदक क्र. 4 से 8 के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है।

7/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त ने समय सीमा पर प्रकरण का निराकरण किया है, जबकि प्रश्नाधीन नामान्तरण पंजी जमा ही नहीं हुई होने से सन्देहास्पद है । ऐसी स्थिति में प्रकरण का गुणदोष पर परीक्षण किया जाना आवश्यक था । अत: इस प्रकरण में यह न्यायिक आवश्यकता है कि अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण अपर आयुक्त को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को समय सीमा में मान्य करते हुये प्रकरण का गुणदोष पर अंतिम निराकरण करें ।

8/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28-10-2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अपर आयुक्त इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को समय सीमा में मान्य करते हुये प्रकरण का गुणदोष पर अंतिम आदेश पारित करें ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर